

## कार्यालय आबकारी आयुक्त,राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक:प. 32(बी)(1)आब/एल/2009/3439

दिनांक 22.4.2009

### वर्ष 2009-10 के लिये पड़त देशी मदिरा दुकानात के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में सूचना

वर्ष 2009-10 के आबकारी बन्दोबस्त में वर्तमान में पड़त चल रही देशी मदिरा दुकान समूहो के लिये उनकी मूल रूप से निर्धारित वार्षिक राशि की 80 प्रतिशत राशि या उससे अधिक पर प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं । इस हेतु शेष शर्ते इस कार्यालय के द्वारा जारी पूर्व सूचना क्रमांक प32(बी)(1)आब/एल/2009/3195 दिनांक 31.3.2009 के अनुरूप रहेगी ।

इस सूचना के क्रम में पड़त दुकानो हेतु प्रस्ताव दिनांक 29.4.2009 को अपरान्ह 2.00 पी.एम. तक दिये जा सकेंगे । प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन अपरान्ह 4.00 पी.एम. पर उपस्थित प्रस्तावकर्ताओं के समक्ष सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में खोले जायेंगे ।

अतिरिक्त आयुक्त  
आबकारी विभाग,राजस्थान,  
उदयपुर